**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

 **राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 74

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**परीक्षा प्रणाली में अनुचित तरीकों के उपयोग को रोकना**

**\*74. श्री विजय गोयलः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के लीक होने की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो गई है, जैसा कि मीडिया में समाचार आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परीक्षा प्रणाली में अनुचित तरीकों के उपयोग को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**‘परीक्षा प्रणाली में अनुचित तरीकों के उपयोग को रोकने’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री विजय गोयल द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 74 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग): गत तीन वर्षों के दौरान केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में वर्ष 2014 में मणिपुर में लीक हुए भौतिकी प्रश्‍न-पत्र को छोड़कर काई भी प्रश्‍न-पत्र लीक नहीं हुआ। लीक के कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति के जांच के परिणामों के आधार पर मणिपुर के सभी परीक्षा केन्‍द्रों पर पुन: परीक्षा आयोजित की गई थी।

सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन के दौरान परीक्षा से पूर्व छात्रों की काउंसलिंग, परीक्षा केन्‍द्र पर प्रवेश के समय, तलाशी, बाह्य केन्‍द्र के अधीक्षकों की नियुक्ति, उम्‍मीदवारों को फोटो-प्रवेश पत्र जारी करने, पर्यवेक्षक की नियुक्ति, औचक जांच के लिए उड़न दस्‍ते, प्रश्‍न-पत्रों के मल्‍टीप्‍ल सेट्स आदि के प्रयोग के माध्‍यम से अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाता है।

**\*\*\*\*\***